

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

68/2020  
29-10-2020

रमेश पुत्र रामभजन जाति मीणा निवासी भोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक  
राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 20-3-2020 मिसल सं.  
1074/2020

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम राजकीय पेराकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 20-3-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.08 है0 किस्म भूमि चरागाह वाके ग्राम भोजपुरा तहसील उनियारा पर बने हुए मकान एवं फसल काशते करने पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 32/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर पटवारी हल्का ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर झूठी रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर विश्वास कर गलत रूप से अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तथा चलने योग्य नहीं है। जबकि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.08 है0 में अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से पक्का पुख्ता मकान बना हुआ है इस मकान में विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। इसी भूमि अन्य कई व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट इस मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। यह भूमि आबादी के पास ही है तथा भूमि की नियमन की कार्यवाही भी चल रही है। साथ ही यह भी निवेदन किया है



  
**जिला कलेक्टर**  
टोंक

कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्त को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ कमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है, कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्त का यह भी कथन रहा कि अपीलान्त को निर्णय पारित किये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त निर्णय एकतरफा में पारित किया गया था सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7-10-2020 को तब हुई जब पटवारी द्वारा अपीलान्त को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। अपीलान्त ने दिनांक 12-10-2020 को नकल प्राप्त की तथा लॉकडाउन खुलने पर बिना किसी देरी के उक्त अपील जानकारी के अन्दर मियाद पेश कर रहा है देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पस्तुत कर रहा है।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है, किन्तु अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, किन्तु उसके द्वारा अपने बचाव में कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये तथा भूमि पर अपना अतिक्रमण भी माना है। विवादित भूमि चरागाह भूमि है जो गाँव के मवेशियों के चराने, विचरण करने के काम आती है अगर ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होता है तो मवेशियों के चरने में परेशानी होती है तथा किसान तथा ग्रामवासी आये दिन शिकायते करते हैं। ऐसी सूरत में अतिचारी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अपीलान्त ने पहले भी इस भूमि पर 2075 में अतिक्रमण किया था, ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विवादित भूमि पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलान्त द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम भोजपुरा तह0 उनियारा पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है एवं अपीलान्त ने स्वयं ने भी पक्का मकान बना होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अपीलान्त चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 20-3-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक  
टोक